न्यायालय मे श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

रा०प्र०क्र० / 233 / निगरानी / 2013–2014

203
11.11.14

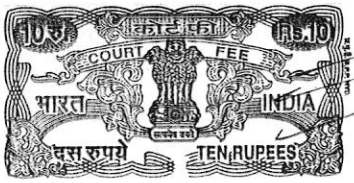

C.F. Rs 20/-

R - 1925 - II/14

दीपक पिता स्व० भोला तेली उम्र लगभग १५ वर्ष नाबालिग जरिये वली सरपरस्त माता नानबाई धर्मपत्नी स्व भोला तेली उम्र ५० वर्ष निवासी ग्राम पो० कुबरा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म०प्र० ....निगरानीकर्ता/अपीलार्थी

सुशील सिगरोल 11.4.14

11.4.14
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

१–रामरती माता चिड्डी पिता मधु तेली नि० ग्राम करूआ पो० गोहपारू थाना व तहसील गोहपारू जिला–शहडोल म०प्र०

२–फुल्लीबाई माँ रनिया पिता कमोदा पत्नी चेतन तेली नि० ग्राम नवाटोला पो० चुहिरी थाना व तहसील गोहपारू जिला–शहडोल म०प्र०

३–बुधिया माँ रनिया पिता कमोदा पति मोहन तेली नि० ग्राम पो० कुबरा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म०प्र०

४–राममिलन माता रनिया पिता मोहन तेली निवासी ग्राम लोढी पो०रवन्नौधी थाना व तहसील गोहपारू जिला–शहडोल म०प्र०

५–पूरन दादी रनिया पिता कमोदा तेली नि० ग्राम लोढी पो०रवन्नौधी थाना व तहसील गोहपारू जिला–शहडोल म०प्र०

६–बबुआ पिता छत्रधारी तेली नि० ग्राम कुबरा

७–अखिलेश पिता बबुआ तेली नि० ग्राम कुबरा

८–कमला पत्नी महेन्द्र शुक्ला नि० कुबरा

क्र०–६,७,८ तीनो का पो० कुबरा थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला–शहडोल म०प्र० ....गैरनिगराकारगण/रेस्पा०गण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू–राजस्व संहिता १९५९ निगरानी निर्णय विरूद्ध अधी० न्याया० कमिश्नर महोदय शहडोल संभाग–शहडोल म०प्र० के रा०प्र०प्र०/४५१/अपील/२००८–२००९ निर्णय दिनांक २०.०३.२०१४ पी–१६ से व्यथित होकर

कमांक / /2/ / .... पर

05/04/2014
डी.पी. तिवारी
एडवोकेट
शहडोल (म.प्र.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0–R.1924–II / 14 जिला–शहडोल

दीपक तेली / रामरती तेली वगैरः

(1)	(2)	(3)
22.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत लगाता उपस्थित नहीं है। 3. अनावेदक क्रमांक 1,3से8 की ओर से उनके अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला एड0 उपस्थित। 4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	